Indira Gandhi Delhi Technical University For Women

(Established by Govt. of Delhi vide Act 09 of 2012)

Kashmere Gate, Delhi-110006

Sub: Notification of Forth Ordinance of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women relating to admission of students to Ph.D Programme of the University.

Please find enclosed herewith a copy of the Notification of Forth Ordinance of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women relating to admission of students to Ph.D Programme of the University, published in the Delhi Gazette, Part III, Extra-ordinary for information and necessary action/record.

(S.N. Jha)
Registrar

To

1. All Deans/HoDs, IGDTUW
2. Dy. Dean (R&C), IGDTUW
3. Incharge (IT), IGDTUW with the request to upload the Notification on the Web Portal of the University under Ordinances.
4. PS to VC, IGDTUW for kind information of the Hon'ble Vice Chancellor

Encl: As above

U.O. No. F.13(24)/Plg./IGDTUW/2014/2721 Dated the 30th September, 2015

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 36

No. 4] DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937 [N.C.T.D. No. 36

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 जून, 2015

सं. एफ.16(24)/पीएलजी./आईजीडीटीयूडब्ल्यू/2014/1134.–इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम सं.9), की धारा 31 के उपबंधों के अनुसरण में, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड एतद्द्वारा इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के पीएच.डी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के दाखिले से संबंधित निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–**

(1) इस अध्यादेश को इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, 2014 का चतुर्थ अध्यादेश कहा जा सकता है।

(2) यह 20 दिसंबर, 2013 (प्रबंधन बोर्ड द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख) से लागू माना जाएगा।

2. **परिभाषाएं–**

(i) "उम्मीदवार" से ऐसी व्यक्ति अभिप्रेत होगी जो पीएच.डी डिग्री हेतु पंजीकृत हो और जिसने विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है और एक अनुमोदित शोध योजना प्रस्तुत की है।

(ii) "पाठ्यक्रम कार्य" से पीएच.डी डिग्री हेतु पंजीकृत विद्यार्थी द्वारा किया जा रहा अध्ययन, विभाग शोध समिति द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रम अभिप्रेत होगा।

(iii) "डिग्री" से इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी) की डिग्री अभिप्रेत होगी।

(iv) "डीआरसी" से विभाग शोध समिति अभिप्रेत होगी। डीआरसी का संघटन विनियमों के अनुसार होगा।

(v) "न्यूनतम पंजीकरण अवधि" से अंतिम पंजीकरण की तारीख से थीसिस की प्रस्तुति की तारीख तक की न्यूनतम अवधि अभिप्रेत होगी।

(vi) "विनियम" से तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत होंगे।

(vii) "विद्यार्थी" से उम्मीदवार बनने से पहले पीएच.डी. डिग्री के लिए अनंतिम रूप से पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत होगी।

(viii) "पर्यवेक्षक" से विद्यार्थी/उम्मीदवार के शोध/शैक्षणिक कार्य का मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण करने के लिए विभाग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शोध बोर्ड द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ का सदस्य अभिप्रेत होगा।

(ix) "विश्वविद्यालय" से इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत होगा।

(x) "यूआरबी" से विश्वविद्यालय शोध बोर्ड अभिप्रेत होगा। यूआरबी का संघटन विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार होगा।

3. **पीएचडी डिग्री कार्यक्रम हेतु अध्यादेश–**

(i) पीएच.डी कार्यक्रम में दाखिले हेतु न्यूनतम प्रवेश अर्हताएं और न्यूनतम प्रतिशत अंक विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

(ii) पीएच.डी कार्यक्रम हेतु पंजीकृत उम्मीदवार को, विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार, न्यूनतम पंजीकरण अवधि अपेक्षा को पूरा करना होगा।

(iii) विद्यार्थी/उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह पाठ्यक्रम कार्य के माध्यम से विहित न्यूनतम क्रेडिटों को अर्जित करे और अनुमोदित पर्यवेक्षक (कों) के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य करे।

(iv) उम्मीदवार द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर डिग्री प्रदान किए जाने हेतु सभी अपेक्षाओं को पूरा किया जाना अपेक्षित होगा।

(v) अनंतिम पंजीकरण की तारीख सामान्यतया वही तारीख होगी जिसमें विद्यार्थी पीएच.डी कार्यक्रम के लिए किसी सेमेस्टर के प्रारंभ में पहली बार औपचारिक रूप से पंजीकृत होती है, जो सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम में उसके शामिल होने की भी तारीख होगी।

(vi) एक विद्यार्थी को डिग्री हेतु एक उम्मीदवार बनने के लिए, उसे विनियमों में यथा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उसे संबंधित विभाग शोध समिति के सिफारिश पर विश्ववविद्यालय शोध बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।

(vii) यदि कोई विद्यार्थी/उम्मीदवार अपने पीएच.डी कार्यक्रम को छोड़ देती है अथवा उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो विद्यार्थी/उम्मीदवार का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार का पुनःदाखिला लिया जाता है, तो उसे, अनुशासनिक आधारों पर समापन के मामले को छोड़कर, संबंधित शोध समिति से परामर्श के बाद विश्वविद्यालय शोध बोर्ड की सिफारिश पर पूर्व पंजीकरण के दौरान अर्जित क्रेडिटों के अंक दिए जा सकते हैं।

(viii) एक पात्र उम्मीदवार को पीएच.डी डिग्री विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(ix) आवश्यकता के आधार पर, विश्वविद्यालय वर्ष में दो बार पीएच.डी दाखिले हेतु विज्ञापन देगा।

(x) यदि कोई उम्मीदवार, जिसने पहले से ही किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में पीएच.डी हेतु नामांकन करा रखा है और अपना पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के किसी अनुमोदित पर्यवेक्षक के अधीन इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण करवाना चाहती है, तो उसे विनियमों के अनुसार ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

एस.एन.झा,रजिस्ट्रार

INDIRA GANDHI DELHI TECHNICAL UNIVERSITY FOR WOMEN

NOTIFICATION

Delhi, the 5th June, 2015

No. F. 16(24)/Plg./IGDTUW/2014/1134.- In pursuance of the provisions of Section 31 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act, 2012 (Delhi Act No. 9 of 2012), the Board of Management of the University hereby makes the following Ordinance relating to the admission of students to Ph.D Programmes of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, namely :-

1. **Short Title and Commencement–**

(1) This ordinance may be called the Fourth Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 20th December, 2013 (the date of its approval by the Board of Management).

2 **DEFINITIONS–**

(i) **"Candidate"** shall mean a person registered for the Ph.D. Degree and who has successfully completed the course work and submitted an approved research plan as per regulations.

(ii) **"Course Work"** shall mean courses of study prescribed by the Department Research Committee to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree.

(iii) **"Degree"** shall mean the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women.

(iv) **"DRC"** shall mean Department Research Committee. The constitution of DRC shall be as per regulations.

(v) **"Minimum Registration Period"** shall mean the minimum period from date of final registration to submission of the thesis.

(vi) **"Regulations"** shall means regulations of the University for the time being in force.

(vii) **"Student"** shall mean a person provisionally registered for the Ph.D. degree prior to becoming a candidate.

(viii) **"Supervisor"** shall mean a member of the academic staff of the University approved by University Research Board on the recommendation of the Department to guide/supervise the research/ academic work of the student/candidate.

(ix) **"University"** shall mean Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (IGDTUW).

(x) **"URB"** shall mean University Research Board.The constitution of URB shall be as per regulations of the University.

3. ORDINANCES FOR PhD DEGREE PROGRAMME.–

(i) The minimum entry qualifications and minimum percent marks for admission to the Ph.D. programme shall be as laid down in the regulations.

(ii) A candidate registered for the Ph.D. programme shall be required to satisfy a minimum registration period requirement, as laid down in the regulations.

(iii) A student/candidate shall be required to earn prescribed minimum credits through course work and carry out her research work at the University, under the guidance of approved supervisor(s).

(iv) Candidate will be required to complete all requirements for the award of the degree within a period specified in the regulations.

(v) The date of provisional registration shall normally be the date on which the student formally registers for the first time in the beginning of a semester for the Ph.D. programme, which shall also be the date of her joining the programme for all intents and purposes.

(vi) For a student to become a candidate of the degree, she shall have to satisfy the requirements laid down in the regulations and be accepted by the University Research Board on the recommendation of the respective Department Research Committee.

(vii) If a student/candidate withdraws from her Ph.D. programme or her registration is terminated, the student/candidate status shall cease. If such a candidate is re-admitted, she may be given weightage to the credits acquired during the previous registration on the recommendation of the University Research Board after consultation with concerned Department Research Committee except in the case of termination on disciplinary grounds.

(viii) The award of the Ph.D. Degree to an eligible candidate shall be made in accordance with the regulations of the University.

(ix) Depending upon the requirement, the University shall advertise for Ph.D. admission twice in a year.

(x) In case a candidate who has already enrolled for Ph.D in a recognized University and has successfully completed her course work, wishes to get herself registered at IGDTUW under an approved supervisor of IGDTUW, may be allowed in accordance with the regulations.

S.N. JHA, Registrar

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.